प्रेस नोट
दिनांक 30.10.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा मारपीट व आगजनी की घटना कारित करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 252/2025 धारा 352, 351(3), 115(2), 326(छ), 324(5), 333 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(V), 3(2)(VA), 3(2)(IV) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों- 1. बाबू उर्फ शंकर दयाल शुक्ला पुत्र गोपीनाथ शुक्ला, 2. शिवदयाल उर्फ ददऊ शुक्ला उर्फ सचिन पुत्र गोपीनाथ शुक्ला व 3. रोहित पाण्डेय पुत्र बिकाऊलाल पाण्डेय को रामापुर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राकेश पुत्र राममिलन नि०ग्रा० रानीपुरवा मौजा छिरास थाना कौडिया गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण 1. बाबू उर्फ शंकर दयाल शुक्ला पुत्र गोपीनाथ शुक्ला, 2. शिवदयाल उर्फ ददऊ शुक्ला उर्फ सचिन पुत्र गोपीनाथ शुक्ला व 3. रोहित पाण्डेय पुत्र बिकाऊलाल पाण्डेय द्वारा पूर्व में पंजकृत मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 29.10.2025 को दोपहर समय करीब 03.00 बजे घर पर मौजूद उसकी पत्नी व पुत्री को जातिसूचक गाली देते हुए मारा पीटा तथा वादी के भाई के घर (मढ़हा) में आग लगा दी। जिससे उसमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.10.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 03 आरोपी अभियुक्तों- 1. बाबू उर्फ शंकर दयाल शुक्ला पुत्र गोपीनाथ शुक्ला, 2. शिवदयाल उर्फ ददऊ शुक्ला उर्फ सचिन पुत्र गोपीनाथ शुक्ला व 3. रोहित पाण्डेय पुत्र बिकाऊलाल पाण्डेय को रामापुर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बाबू उर्फ शंकर दयाल शुक्ला पुत्र गोपीनाथ शुक्ला उम्र करीब 19 वर्ष
2. शिवदयाल उर्फ ददऊ शुक्ला उर्फ सचिन पुत्र गोपीनाथ शुक्ला उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम रानीपुरवा मौजा छिरास थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
3. रोहित पाण्डेय पुत्र बिकाऊलाल पाण्डेय उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बदलपुरवा मौजा पूरेबदल थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 252/2025 धारा 352, 351(3), 115(2), 326(छ), 324(5), 333 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(V), 3(2)(VA), 3(2)(IV) एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह मय टीम
02. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
03. आ० महेन्द्र पाण्डेय
04. का० दिनेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.10.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 390/25 धारा 80(2), 85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित 03 दहेज हत्याभियुक्तगण 1. मुकेश यादव पुत्र स्व0 शिवा कान्त यादव 2. रेनू यादव पुत्री स्व0 शिवा कान्त यादव 3. शान्ति देवी पत्नी शिवा कान्त निवासीगण तुलसीपुर माझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पटपरगंज पुल से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2025 को वादी वीर प्रताप उर्फ चुर्की यादव पुत्र राम टहल ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होने अपनी बहन की शादी 2023 में मुकेश यादव पुत्र स्व० शिवाकान्त यादव निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के साथ किया था । शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति मुकेश यादव व अन्य ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। जिसकी बारे में फोन पर बहन द्वारा वादी को बताया गया था, वादी का आरोप है कि बहन के पति मुकेश यादव व ससुरालीजनों ने उसे दहेज के के लिए मार दिया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 30.10.2025 को उ0नि0 अशोक कुमार जायसवाल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर दहेज हत्याभियुक्तगण - 1. मुकेश यादव पुत्र स्व0 शिवा कान्त यादव, 2. रेनू यादव पुत्री स्व0 शिवा कान्त यादव, 3. शान्ति देवी पत्नी शिवा कान्त निवासीगण तुलसीपुर माझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पटपरगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकेश यादव पुत्र स्व0 शिवा कान्त यादव
2. रेनू यादव पुत्री स्व0 शिवा कान्त यादव
3. शान्ति देवी पत्नी शिवा कान्त निवासीगण तुलसी पुर माझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 390/25 धारा 80(2), 85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अशोक कुमार जायसवाल
2. कां0 राम अवतार यादव
3. कां0 राहुल साहनी
4. म0का0 किरन चौहान
5. म0का0 सुनीता कुशवाहा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 30.10.2025

नये आपराधिक कानूनों के प्रति "विधिक जन-जागरूकता अभियान 2.0" का शुभारम्भ — पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपदभर में हो रहे व्यापक जनसंपर्क एवं संवाद कार्यक्रम

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 से जनपद में "नये आपराधिक कानूनों के प्रति विधिक जन-जागरूकता अभियान 2.0" का शुभारम्भ किया गया। यह अभियान 01 नवम्बर 2025 तक तीन दिवस तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू किये गये भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) की जानकारी आमजन तक पहुँचाना एवं विधिक साक्षरता को बढ़ावा देना है। अभियान के प्रथम दिवस जनपद के समस्त थानों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, संवाद सत्र व गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस अधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों ने आमजन, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं को नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया। इनमें विशेष रूप से जीरो एफआईआर की सुविधा, ई-एफआईआर प्रणाली, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया, महिला एवं बाल सुरक्षा के सशक्त प्रावधान, फोरेंसिक तकनीक का उपयोग, पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था एवं नये अपराधों की परिभाषाओं व दंडात्मक प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने बताया कि "नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, पीड़ितों की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा करना तथा तकनीकी नवाचारों के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं विश्वसनीय बनाना है। समाज का प्रत्येक नागरिक यदि इन कानूनों से परिचित होगा तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए विधिक रूप से सशक्त नागरिक बन सकेगा।" महोदय ने आमजन से अपील की कि वे इस विधिक जागरूकता अभियान में भाग लेकर नये कानूनों की जानकारी प्राप्त करें तथा समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना को और प्रगाढ़ बनाएं।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 30.10.2025, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से लड़की को बहला-फुसला कर भगाने के 01 आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष कारावास व रु0 10,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2019 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी विजय कुमार उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे, घटना के सम्बन्ध में थाना मु0अ0सं0- 229/2019, धारा 363,366 भादवि बनाम विजय कुमार पुत्र देवराम पंजीकृत हुआ था । जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 निशा निषाद द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त विजय कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.08.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) महोदया श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा थाना मनकापुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अभिनव चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 प्रमोद कुमार व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0कां0 बृजेश कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 30.10.2025 को दोषी अभियुक्त विजय कुमार को 07 वर्ष कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01.विजय कुमार पुत्र देवराम नि0 समसापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 229/2019, धारा 363,366 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।